105 22

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

जी–3/1ए, अम्बेडकर भवन विस्तार, होटल राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, जयपुर

क्रमांक : एफ14(1)( )/फोस्टर केयर/समिति/जेजे एक्ट/ब.अ.वि/14/15603 जयपुर, दिनांकः 05/07/14

आदेश

राजस्थान पालन–पोषण देखभाल (फोस्टर केयर) नियम, 2014 के नियम 9(1) एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रावधान के कम में प्रायोजकता/पालन–पोषण (फोस्टर केयर) देखभाल स्वीकृत/अनुशंषा करने हेतु प्रत्येक जिलें में निम्नानुसार संरचना से प्रायोजकता एवं पालन–पोषण देखभाल (फोस्टर केयर) स्वीकृति समिति गठित की जाती है:–

क.सं.	समिति के पदाधिकारी का नाम	समिति में पदनाम
1	सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई	अध्यक्ष
2	जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण ईकाई	सदस्य
3	अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति	सदस्य
4	अधीक्षक, राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी (संबंधित अधीक्षक, राजकीय किशोर गृह/बालिका गृह)	सदस्य
5	सदस्य (महिला), किशोर न्याय बोर्ड। (गैर सरकारी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में)	सदस्य
नोटः– किशोर न्याय बोर्ड में महिला सदस्य का पद रिक्त होने की स्थिति में बोर्ड के पुरूष सदस्य उक्त समिति की बैठकों में भाग ले सकेंगे।		

उक्त समिति राजस्थान पालन–पोषण देखभाल (फोस्टर केयर) नियम, 2014 के प्रावधानों के तहत निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत निर्धारित दायित्वों/कार्यों का निष्पादन करेगी। उक्त समिति की बैठकें मासिक स्तर पर आयोजित की जायेगी तथा समिति में किन्हीं 3 सदस्यों की उपस्थिति (अध्यक्ष सहित) द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा। समिति द्वारा लिये गये निर्णय/की गई कार्यवाही से बाल कल्याण समिति/जिला बाल संरक्षण ईकाई को अवगत कराया जायेगा।

(रघुवीर सिंह मीना)
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

क्रमांक : एफ14(1)( )/फोस्टर केयर/समिति/जेजे एक्ट/ब.अ.वि/14/15604–758 जयपुर, दिनांकः 05/07/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सान्याअवि, राजस्थान सरकार।
2 समस्त, सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग/जिला बाल सक्षण इकाई...............।
3 समस्त अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग.......।
4 समस्त अधीक्षक, राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी (संबंधित राजकीय किशोर गृह/बालिका गृह)।
5 संबंधित सदस्य ....।
6 रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी